THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) Sir, the experiments on utilisation of sugarcane trash and sulphitation press mud with different doses of nitrogen indicated increase in sugaracne yield. The increase in yield varied in different experimentations and in only one exploratory trial of sugarcane trash, the increase was upto 37.5 per cent as compared to check plot having no application of nitrogen and trash.

(b) Efforts to popularise the practice of use of trash mulch application in sugarcane cultivation are made through field demonstrations and lectures.

दिल्ली मास्टर प्लान 2001

*229. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "दिल्ली मास्टर प्लान 2001" को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और क्या आम जनता को इस योजना की जानकारी दी गई थी ;

(ख) दिल्ली के लिये पहला मास्टर प्लान कब बनाया गया था और उसकी अवधि क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि 1986 में दिल्ली के नागरिकों को यह जानकारी दी गई थी कि एक कन्सेप्चुअल प्लान तैयार किया गया है ; यदि हां, तो उसे कब लागू किया गया था ; और

(घ) क्या बहुमंजिली इमारतों के क्षेत्रफल को कम करने के लिये ग्रुप हाउसिंग का फ्लोर एरिया रेशियो कम कर दिया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) से (ग) दिल्ली की वृहद योजना 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुई । दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, बृहद योजना के लिये कोई अंतिम वर्ष नहीं है परन्तु जनसंख्या, भूमि की आवश्यकता तथा अवरचना आदि का प्रक्षेपण आगामी 20 वर्ष के लिये किया गया था ।

1977 में, सरकार ने दिल्ली के उप-राज्यपाल, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष हैं, को वृहद योजना में संशोधित करने के लिये अग्रिम कार्रवाई करने की सलाह दी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतिष्ठित व्यवसायों/जनता के प्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों और अन्य संबंधितों के परामर्श से आवश्यक सर्वेक्षण/अध्ययन किये । वर्ष 2001 के लिये प्रक्षेपणों पर आधारित संशोधन प्रस्ताव प्रारूप को सरकार को प्रस्तुत किया गया था तथा दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति के अनुसार जनता से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने के प्रकाशनार्थ अनुमोदित किया गया था । आम जनता और अन्य इच्छुक व्यक्तिगतों, संस्थाओं एवं इच्छुक वर्गों से 800 से अधिक आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुये थे । इसी बीच, सरकार ने एक अतिरिक्त सुझाव के तौर पर दिल्ली नगर कला आयोग को अपने सुझाव देने का भी अनुरोध किया । तदनुसार, दिल्ली नगर कला आयोग ने दिल्ली 2001 की संकल्पना योजना तैयार की । जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से गठत जांच बोर्ड, जिसने बारीकी से प्रत्येक आपत्ति/सुझाव की जांच की तथा संशोधन प्रारूप में शामिल करने के लिये उपर्युक्त सिफारिशें की, इस योजना की भी जांच की । योजना प्रारूप को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया तथा इस आधार पर अद्यतन किया गया एवं तब अगस्त, 1987 में अनुमोदन के लिये इसे सरकार को प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों

की सरकार द्वारा जांच की गई तथा हाल ही में उसका अनुमोदन किया गया। इसे 1 अगस्त, 1990 को असाधारण राजपत्र भाग–ii संख्या 437 में प्रकाशित किया जा चुका है। समाचार पत्रों, विज्ञापनों, एवं प्रैस रिपोर्टों के माध्यम से उपर्युक्त ब्यौरों से जनता को अवगत कराया गया। इस प्रकार यह देखा गया कि दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा तैयार की गई वैचारिक योजना को न तो लागू करने का आशय था और न ही अपेक्षित था परन्तु बृहद योजना के संशोधनों को अंतिम रूप देते समय इस पर विचार किया गया था।

संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

1. इसमें वर्ष 2001 तक 128 लाख जनसंख्या के प्रबंध के लिये विभिन्न शहरी क्रियाकलापों जैसे आवास, परिवहन, रोजगार केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों आदि के विकसित किये जाने वाले शहर एवं क्षेत्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था है।

2. इस योजना में छोटे रिहायशी प्लाटों पर संवृद्धि आवास की संकल्पना को लागू किया गया है। जिससे निम्न आय वर्ग लाभान्वित होंगे।

3. रेल ट्रांजिट सेवाओं सहित एक बहु-रूपात्मक जन परिवहन प्रणाली एवं चार दिशाओं वाले महानगरीय यात्री टर्मिनलों, चार लदान परिसरों तथा पांच अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों का भी प्रस्ताव किया जाता है।

4. पहली बार "मिश्रित भू-उपयोग" और "अनौपचारिक क्षेत्र" की संकल्पना का प्रस्ताव किया गया है।

5. पहाड़ी और नदी के रूप में प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण का संरक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर मनोरंजनात्मक तथा खेल-कूद के लिये बड़े पैमाने पर क्षेत्रों के विकास का इस योजना में प्रस्ताव किया गया है।

6. समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और अधिक बेहतर जीवन कोटि के लिये पर्यावरण तैयार करने के लिये भूमि को संरक्षित करने हेतु स्थान स्तरों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है।

7. उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिये तथा ग्रामीण औद्योगिक संपदाओं एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिये भी 11 ग्रामीण विकास केन्द्रों की भी इस योजना में पहचान की गई है।

8. योजना में (क) सुव्यवस्थित विकास कोड और (ख) ससक्त प्रबोधन एकक की व्यवस्था की गई है।

(घ) सामूहिक आवास के लिये अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) का यौक्तिकीकरण कर दिया गया है। और 133 नियत किया गया है। इससे पूर्व, सकल रिहायशी सघनता के साथ अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 75 से 175 तक भिन्न-भिन्न था। संशोधित योजना में फर्शी क्षेत्र अनुपात के यौक्तिकीकरण से भवनों के क्षेत्र में कमी करने में आवश्यक रूप से बल नहीं मिलता है।

राजस्थान के सीकर जिले में सलैदीपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना

*230. **श्री सन्तोष मोहनोदिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सीकर जिले में सलैदीपुर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइराइटस, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड के